



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण

की

विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत रिक्त
व्यवसायिक/ग्रुप हाउसिंग/शैक्षिक एवं आवासीय
सम्पत्तियों को **ई-नीलामी** के माध्यम से
प्राप्त करने का

"स्वर्णिम अवसर"

विवरणिका

पंजीकरण

प्रारम्भ तिथि 21.03.2023 सांय: 05:00 बजे से
अन्तिम तिथि 10.04.2023 रात्रि 11:59 बजे तक
नीलामी तिथि 13.04.2023 प्रातः 11:00 बजे
से दोपहर 01:00 बजे तक

मूल्य रू0 1500/-
(जी0एस0टी0 सहित)

आवासीय एवं अनावासीय सम्पत्तियों की ई-नीलामी में प्रतिभाग किये जाने हेतु संक्षिप्त शर्तें:-

1. इच्छुक व्यक्ति/संस्था ई-नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु प्राधिकरण के ई-नीलामी पोर्टल <https://public.erpupda.com> को अपने कम्प्यूटर के ब्राउजर पर <https://public.erpupda.com> पर टाइप कर क्लिक करेंगे, जिस पर मुख्य पेज प्रदर्शित होगा। मुख्य पेज पर ही ई-नीलामी प्रक्रिया के सम्बन्ध में ट्रेनिंग एवं जानकारी के लिए विवरण को क्लिक करने पर सभी जानकारी उपलब्ध होगी। साथ ही ई-नीलामी हेतु उपलब्ध सम्पत्तियों एवं शर्तों इत्यादि को डाउनलोड करके समस्त जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यदि आवेदक ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक है, तो सर्वप्रथम विवरण पुस्तिका को पोर्टल से क्रय करके ही पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। तत्पश्चात ही ई-नीलामी हेतु पंजीकरण प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

2. पंजीकरण धनराशि के रूप में सम्पत्ति के कुल मूल्य की 10 प्रतिशत धनराशि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यू.पी.आई. एवं आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान की जायेगी।

नोट:-

❖ आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से पंजीकरण धनराशि के भुगतान हेतु पेमेंट गेटवे से चालान प्रिंट करते हुए सम्पत्ति के सापेक्ष देय पंजीकरण धनराशि चालान में अंकित खाता संख्या एवं बैंक नाम से भुगतान करना होगा।

❖ यदि आई.सी.आई.सी.आई. पेमेंट गेटवे में किसी भी प्रकार की असुविधा है तो टोल फ्री नम्बर 18601206699 अथवा +91-9324971958 एवं ई-मेल rishab.ja@icicibank.com अथवा cmssupport@icicibank.com पर सम्पर्क करें।

❖ प्राधिकरण की वेबसाइट mdamoradabad@up.gov.in पर स्थित लिंक से भी ई-नीलामी पोर्टल पर जा सकते हैं।

3. ई-नीलामी हेतु पोर्टल <https://public.erpupda.com> से ही नियम एवं शर्तों की पुस्तिका नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एवं यू.पी.आई. के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने के पश्चात क्रय की जायेगी।

4. पंजीकरण के समय पंजीकरण धनराशि जमा करने से पूर्व पोर्टल पर आवेदक द्वारा समस्त व्यक्तिगत जानकारी यथा नाम, जन्मतिथि, ई-मेल, फोन नम्बर सही भरेंगे तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो ऑनलाइन अपलोड करेंगे। आवंटन के समय कोई जानकारी/प्रपत्र असत्य/कूटरचित पाये जाते हैं, तो पंजीकरण धनराशि जब्त कर, आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आवेदक का स्वयं का होगा।

5. ई-नीलामी हेतु प्रस्तावित आवासीय /अनावासीय सम्पत्ति "जहां हैं-जैसे हैं" के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे। ई-नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक क्रेता नीलामी सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित होने तथा ई-नीलामी पोर्टल पर प्राधिकरण का ऑफर प्रदर्शित होने के उपरान्त किसी भी कार्य दिवस में सम्बन्धित सम्पत्ति का स्थल निरीक्षण कर सकते हैं। उच्चतम बोली प्राप्त होने अथवा आवंटन पत्र निर्गत होने के उपरान्त आवेदक का सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी प्रकार की कमी का उल्लेख करना मान्य नहीं होगा। इच्छुक क्रेतागण समय-समय पर किसी भी ऑफर को देखने हेतु उक्त पोर्टल पर लॉगिन करते रहें, जिससे उपलब्ध सम्पत्तियों की जानकारी एवं किसी भी शर्त में संशोधन का भी संज्ञान हो सके।

6. नीलामी में 18 वर्ष से अधिक आयु का भारतीय नागरिक ही भाग ले सकता है।

7. सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बोली आरक्षित दर/मूल्य के ऊपर 1% के अन्तर पर होगी जो ई-नीलामी प्रक्रिया में स्वतः दिखेगा।

8. सम्पत्ति की 35 प्रतिशत धनराशि नीलामी बोली स्वीकृत होने के एक माह के अन्दर पंजीकरण धनराशि को समायोजित करते हुये अवशेष 65 प्रतिशत धनराशि 03 (तीन) मासिक ब्याज रहित किस्तों में अथवा MCLR+1 प्रतिशत (नीलामी की दिनांक को प्रभावी) ब्याज के साथ 08 (आठ) त्रैमासिक किस्तों में देय

होगी। विलम्ब से जमा करने पर किस्तों में सम्मिलित ब्याज के अतिरिक्त 02 (दो) प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज देय होगा।

9. यदि आवेदक द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष उच्चतम बोली की अवशेष राशि नीलामी बोली स्वीकृत होने के पश्चात एक माह के अन्दर एकमुश्त जमा किया जाता है तो **सम्पत्ति मूल्य की 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी**, जिसे अन्य शुल्कों में निबन्धन से पूर्व समायोजित किया जायेगा।
10. आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग 1 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 780/आठ-1-9/2009 दिनांक 27, फरवरी, 2009. के क्रम में रोड़ शुल्क, पार्क शुल्क नहीं लिया जायेगा, मात्र कॉर्नर शुल्क (10 प्रतिशत) देय होगा एवं फ्री-होल्ड/लीज रेंट शुल्क (12/10 प्रतिशत), विलेख, सीवर वाटर कनेक्शन शुल्क अतिरिक्त देय होंगे।
11. सम्पत्ति जिस योजना में स्थित है, उस योजना के स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण तक नियमानुसार निर्धारित दरों पर अनुरक्षण/रख-रखाव शुल्क जो प्राधिकरण बोर्ड से स्वीकृत हैं, देय होगा। वर्तमान में यह दर रू0 5.13 प्रति वर्ग मीटर है तथा प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि होती है।
 - ❖ रिक्त भूखण्डों पर जिनके द्वारा भूखण्ड का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है, परन्तु निर्माण कार्य नहीं किया गया है, के प्रकरणों में 25 प्रतिशत अनुरक्षण शुल्क देय होगा। निर्मित भवन/निर्मित भूखण्ड पर यह शुल्क 100 प्रतिशत देय होगा। अनुरक्षण शुल्क की देयता आवंटन पत्र में निर्धारित अन्तिम किश्त की तिथि के अगले दिवस से अरोपित होगा।
12. सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कर नगर निगम अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर आदि आवंटी द्वारा देय होंगे।
13. आवंटित सम्पत्ति पर किसी अर्जन सम्बन्धी विवाद अथवा किसी न्यायालय में विधिक वाद अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से सम्पत्ति का कब्जा देने में विलम्ब/बाधा की स्थिति में आवंटी को कोई क्षतिपूर्ति/ब्याज देय नहीं होगा तथा ऐसी दशा में आवंटी की मांग पर आवंटन निरस्त करते हुये जमा धनराशि वापस कर दी जायेगी।
14. किसी भी प्रकार की देयता शेष रहने तथा आवंटी द्वारा जमा न कराये जाने पर उक्त धनराशि को प्राधिकरण द्वारा उ0प्र0 नगर योजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-40 के तहत भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी, जिसमें नीलामीदाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।
15. सम्पत्ति (भूखण्ड/भवन) का कब्जा विक्रय पत्र के निबन्धन के उपरान्त ही दिया जायेगा।
16. आवंटित भूखण्ड/भवन पर प्राधिकरण से नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराने के पश्चात ही निर्माण अनुमन्य होगा एवं निर्माण सम्बन्धी सभी नियम व शर्तें आवंटी को मान्य होंगीं।
17. **आवंटित भूखण्ड/भवन के लिए भू-आच्छादन, एफ.ए.आर. एवं ऊंचाई मानचित्र स्वीकृति के समय प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार ही अनुमन्य होंगे।**
18. ई-नीलामी प्रक्रिया में पंजीकरण करते ही स्वतः यह मान्य होगा कि आवेदक द्वारा सभी शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया गया है तथा उसे सभी शर्तें मान्य हैं।
19. स्थल पर पैमाइश के समय यदि क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि होती है, तो वृद्धि होने पर आवंटी द्वारा देय अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत बोली की दर से जमा करनी होगी एवं कमी होने पर अतिरिक्त जमा धनराशि का समायोजन आवेदक द्वारा देय धनराशि में से करते हुये यदि कोई धनराशि अवशेष होती है, तो आवंटी को बिना ब्याज के रिफण्ड कर दी जायेगी।
20. किसी भी ई-नीलामी को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में निहित है, जिसके विरुद्ध बोलीदाता का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
21. आवंटन उपरान्त यदि आवंटी द्वारा आवंटन पत्र में उल्लेखित किश्तों के भुगतान की निर्धारित तिथि से पूर्व सम्पत्ति को लेने से इन्कार किया जाता है तथा जमा धनराशि की वापसी की मांग की जाती है, तो आवंटन निरस्त कर सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुये, सम्पत्ति समर्पण हेतु प्रार्थना पत्र की दिनांक तक

पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त सम्पत्ति के सापेक्ष कुल जमा धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

22. आवंटन उपरान्त यदि आवंटी द्वारा आवंटन पत्र में उल्लेखित किशतों के भुगतान की निर्धारित तिथि से पश्चात सम्पत्ति को लेने से इन्कार किया जाता है तथा जमा धनराशि की वापसी की मांग की जाती है, तो आवंटन निरस्त कर सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुये, सम्पत्ति समर्पण हेतु प्रार्थना पत्र की दिनांक तक पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त सम्पत्ति के सापेक्ष कुल जमा धनराशि का 30 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।

इस प्रकार शर्त सं0 21 एवं 22 में वापस की जाने वाली धनराशि पर कोई ब्याज इत्यादि देय नहीं होगा।

23. आवंटी द्वारा लगातार 03 किस्ते जमा न करने उन्हें डिफाल्टर माना जायेगा तथा आवंटन निरस्त करने के उपरान्त प्रस्तर 22 के अनुसार पंजीकरण धनराशि जब्त करते हुये एवं सम्पत्ति के सापेक्ष जमा धनराशि में तदनुसार कटौती कर अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगा।
24. आवेदक द्वारा दी गयी सूचना/अभिलेख असत्य/कूटरचित पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं यदि विक्रय विलेख के पश्चात उक्त प्रकार का कोई तथ्य प्राधिकरण के संज्ञान में आता है, तो विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार विक्रय विलेख के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
25. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मुरादाबाद होगा।
26. किसी भी सम्पत्ति की ई-नीलामी तभी प्रारम्भ होगी जब न्यूनतम तीन बोलीदाताओं द्वारा पंजीकरण कराया जायेगा।
27. ई-नीलामी हेतु निर्धारित अवधि अथवा विड करने की तिथि एवं समय से पूर्व पंजीकरण धनराशि प्राप्त नहीं होती है तो, आवेदक नीलामी में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे।
28. यदि ई-नीलामी प्रक्रिया में पूर्व निर्धारित समापन समय की समयावधि पूर्ण होने के अन्तिम पांच मिनट में किसी ई-नीलामीदाता द्वारा विड की जाती है, तो ई-नीलामी का समय 05 मिनट स्वतः बढ़ जायेगा तथा यह प्रक्रिया नीलामी के पूर्ण होने तक चलती रहेगी।

शैक्षिक भूखण्डों हेतु अतिरिक्त नियम एवं शर्तः:-

1. भूखण्ड आवंटन के एक वर्ष के अन्दर स्कूल भूखण्ड की सम्पूर्ण धनराशि व लीजरेन्ट आदि जमा कराने के उपरान्त भूखण्ड को 30 वर्षों हेतु लीज (पट्टे) पर दिया जायेगा। इसके उपरान्त लीज का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा।
2. आवेदक संस्था द्वारा भूखण्ड की निर्धारित हो रही कीमत की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने तथा कीमत का 10 प्रतिशत लीजरेन्ट जमा करने के उपरान्त रजिस्टर्ड लीज डीड (पट्टा) निष्पादित करायी जायेगी। तदोपरान्त आवेदक संस्था को भूखण्ड का कब्जा सौंपा जायेगा।
3. आवेदक संस्था को सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्राधिकृत/सक्षम अधिकारी से मान्यता प्राप्त करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र नीलामी तिथि से एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. शासनादेश के अनुसार नीलामी की तिथि से 1 वर्ष के अन्दर स्कूल भूखण्ड की सम्पूर्ण धनराशि जमा न करने एवं मान्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र न दिये जाने तथा लीज डीड के निष्पादन तिथि से 3 वर्ष के अन्दर भवन का निर्माण न किये जाने पर समस्त जमा धनराशि जब्त करते हुए भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
5. जिस उद्देश्य एवं प्रयोजन हेतु भूखण्ड का आवंटन किया गया है, भूखण्ड उसी उपयोग में लाया जायेगा। उल्लंघन की स्थिति में लीज निरस्त करते हुए विकास प्राधिकरण द्वारा पुनः प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
6. आवंटित स्कूल भूखण्ड पर निर्मित होने वाले विद्यालय में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों को प्रवेश में आरक्षण अथवा शिक्षण शुल्क में छूट की देयता आदि के प्राविधान प्रदेश

सरकार के सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग की सुसंगत नीतियों/शासनादेशों (समय-समय पर यथा संशोधित) से शासित होंगे।

7. स्कूल भवन का निर्माण कराने से पूर्व तत्समय प्रभावी भवन निर्माण उपविधि के अनुसार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराना होगा।
8. शेष नियम व शर्तें आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 3600/आठ-1-11-10विविध/04 दिनांक 21.12.2011 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार लागू होंगी।
9. समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
10. सभी प्रकार के देय शासकीय करों यथा जी.एस.टी. आदि का भुगतान स्कूल भूखण्ड के निर्धारित हो रहे मूल्य के अतिरिक्त अलग से देय होंगे।
11. आवंटन उपरान्त समर्पण करने तथा आवंटी के डिफाल्टर होने की दशा में प्राधिकरण द्वारा नीलामी निरस्त कर समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

सचिव

उपाध्यक्ष

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद उ0प्र0
शपथ पत्र (रू0 100/- के नाम जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

नाम श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम श्री.....
..... आयु..... व्यवसाय..... पूरा पता.....

मैं शपथ पूर्व बयान करता हूँ/करती हूँ:-

1. मैंने मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की..... योजना के अन्तर्गत.....हेतु
(योजना का नाम) (सम्पत्ति का विवरण)
पंजीकरण संख्या..... दिनांक..... को प्रस्तुत किया गया व रू0..... पंजीकरण
धनराशि दिनांक..... को प्राधिकरण खाते में ऑनलाइन जमा करायी है जिससे तारतम्य मैं यह शपथ पत्र प्रस्तुत
कर रहा/रही हूँ।
2. मैं बालिग हूँ तथा मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
3. मैं प्रार्थना पत्र केवल अपने लिए ही दे रहा/रही हूँ और इसमें किसी प्रकार का बेनामी अधिकार शामिल नहीं है।
4. मैंने पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित नियमों/शर्तों, दशाओं, विशेष सूचनाओं, परिभाषाओं को स्पष्ट समझ लिया है
तथा मैं इनके पालन का वचन देता/देती हूँ।
5. आवंटित भूखण्ड/भवन के कब्जा देने में यदि भूमि अर्जन सम्बन्धी अथवा अन्य न्यायिक प्रक्रिया के कारण अथवा
अन्य किसी अपरिहार्य कारण से देरी होती है, तो मुझे इस बिन्दु के आधार पर क्षतिपूर्ति का मांग करने का अधिकार
नहीं होगा।
6. मुझे मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदित भूखण्ड/भवन देने की सभी शर्तों व नियम मान्य है।
7. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि जब तक भूखण्ड/भवन की समस्त किस्तों एवं करों का पूर्ण रूप से भुगतान
न कर दूँ मुझे भवन या भूमि बेचने या गिरवी रखने का अधिकार न होगा और न ही भूखण्ड/भवन रिहायशी
उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाउंगा/लाउंगी।
8. यदि मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के आवंटन उपरान्त आवेदित भूखण्ड/भवन कब्जा मैं न लूँ अथवा निर्धारित
समय के अन्तर्गत मांगा गया रूपया न जमा करूंगा अथवा भूखण्ड/भवन की रजिस्ट्री न कराऊँ तथा मुरादाबाद
विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की गयी किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन करूँ तो मुरादाबाद विकास
प्राधिकरण को मेरे द्वारा जमा धन को नियमानुसार जब्त करने तथा भूखण्ड/भवन का आवंटन रद्द करने तथा
भूखण्ड/भवन पर पुनः कब्जा कर लेने का पूरा अधिकार होगा।
9. ऊपर मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब मेरी जानकारी तथा विश्वास में पूर्ण सत्य है और उपरोक्त शपथ-पत्र में
कुछ भी छिपाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। यदि मेरे द्वारा की गयी उपरोक्त बयानी कुछ भी गलत अथवा असत्य
हो अथवा मैंने कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई हो तो अन्य अधिकारियों के अतिरिक्त मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद के सक्षम अधिकारी को पूरा अधिकार होगा कि आवंटन/रजिस्ट्रेशन रद्द कर दें और इस सम्बन्ध में मेरे
द्वारा जमा धन को नियमानुसार जब्त कर लें और मेरे विरुद्ध जो भी कार्यवाही उचित समझें, करें उसमें मुझे कोई
आपत्ति नहीं होगी।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

घोषण:- मैं एतद्वारा बयान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपर्युक्त क्रमांक 01 से 10 तक दी गयी सूचना मेरे पूर्ण
ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)



मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद
की नया मुरादाबाद योजना
के अन्तर्गत ई-नीलामी के माध्यम से
व्यवसायिक/ग्रुप हाउसिंग/ शैक्षिक एवं
आवासीय भूखण्डों, को प्राप्त करने का स्वर्णिम
अवसर

पंजीकरण प्रारम्भ तिथि:—21.03.2023 (सायं 5:00 बजे से)
पंजीकरण समाप्त तिथि:—10.04.2023 (रात्रि 11:59 बजे तक)
ई-नीलामी तिथि:—13.04.2023
समय—प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक

क्र० स०	योजना का नाम	सेक्टर/ ब्लॉक	सम्पत्ति संख्या	सम्पत्ति श्रेणी	अनुमानित भूखण्ड क्षेत्रफल (व०मी०)	भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की स्थिति	आरक्षित दर (रु०)	सम्पत्ति की अनुमानित कीमत (रु०)	पंजीकरण धनराशि (कुल कीमत का 10%) (रु०)
1	नया मुरादाबाद	सेक्टर 02	C-40	व्यवसायिक भूखण्ड	1097.82	60 मी०/18 मी० चौड़ी सड़क	65000.00	71358300.00	7135830.00
2	नया मुरादाबाद	सेक्टर-04	3	ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड	6800.00	30 मी०/30 मी० चौड़ी सड़क	48750.00	331500000.00	33150000.00
3	नया मुरादाबाद	सेक्टर-01	हायर सैकेन्ड्री	शैक्षिक भूखण्ड	1769.89	7.50 मी०/9 मी० चौड़ी सड़क	32500.00	57521425.00	5752142.50
4	आजाद नगर		नर्सरी स्कूल	शैक्षिक भूखण्ड	800.00	7.50मी०/9मी०/09 मी० चौड़ी सड़क	22000.00	17600000.00	1760000.00
5	नया मुरादाबाद	सेक्टर-16	16A-03	आवासीय भूखण्ड	230.50	30 मी० चौड़ी सड़क	32500.00	7491250.00	749125.00
6	नया मुरादाबाद	सेक्टर-16	16A-04	आवासीय भूखण्ड	218.50	30 मी० चौड़ी सड़क	32500.00	7101250.00	710125.00
7	नया मुरादाबाद	सेक्टर-06	6E-53	आवासीय भूखण्ड	252.45	30 मी०/18 मी० चौड़ी सड़क	32500.00	8204625.00	820462.50
8	नया मुरादाबाद	सेक्टर-05	5B-428	आवासीय भूखण्ड	71.28	7.50 मी० चौड़ी सड़क	32500.00	2316600.00	231660.00